# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 42/2016
निर्णय दिनांक– 20.09.2017

तहसीलदार उनियारा मुख्यालय अलीगढ जिला टोक राज0

–वादी

बनाम

1– श्रीनिवास पुत्र गजानन्द जाति मीणा निवासी उखलाना जिला टोक

2–आचार्य श्री हस्तीमल जी शिक्षा समिति अलीगढ जरिये अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश पुत्र रामबिलास जैन निवासी अलीगढ जिला टोक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री ओमप्रकाश माहुर वकील प्रार्थी

श्री प्रेमचन्द जैन प्रतिवादी वकील

## निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 श्रीनिवास पुत्र गजानन्द जाति मीणा निवासी उखलाना जिला टोक अनुसुचित जनजाति का सदस्य है। जिसने अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील उनियारा को दिनांक 30.10.2009 को जरिये रजिस्ट्रर्ड दान पत्र आचार्य श्री हस्तीमल जी शिक्षा विकास समिति अलीगढ को हस्तान्तरित कर दी। उक्त आराजी का कब्जा अप्रार्थी सख्या 2 को सुपुर्द कर दिये जाने पर उक्त आराजी का नामान्तकरण सख्या 693 निर्णय दिनांक 6.4.2010 ग्राम पंचायत बिलोता द्वारा स्वीकृत किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 0.59 वाके ग्राम बिलोता वर्तमान मे आचार्य श्री हस्तीमल जी शिक्षा समिति अलीगढ की खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे दर्ज है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी सख्या 2 ने अपने खातेदारी मे दर्ज उक्त वर्णित आराजी को बिना रूपान्तरित करवाये मोके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर रखा है जो विधि विरूद्व है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी ने जवाब मे बताया कि आराजी ख0न0 318 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम बिलोता प्रतिवादी न0 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे है एवं दिनांक 30.10.2009 को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र शिक्षा विकास समिति अलीगढ के हस्तान्तरित किया गया है। रजिस्टर्ड संस्था के पक्ष मे किया गया रजिस्टर्ड दान पत्र से किसी भी प्रकार से धारा 42(ख) राज0 काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन नही है। दान पत्र विधि अनुसार है।

प्रतिवादीगण ने साक्ष्य के रूप मे जमांबन्दी, नामान्तकरण संख्या 693,व दान पत्र की सत्यप्रतिलिपि पेश कि गई है।

वादी व प्रतिवादीगण कि बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। प्रतिवादीगण न0 1 कि खातेदारी मे अंकित है एवं तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 30.10.2009 को दान पत्र रजिस्टर्ड किया गया है। ग्राम पंचायत बिलोता ने नामान्तकरण सख्या 693 दिनाक 6.4.2010 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार उनियारा द्वारा ही राजस्व रिकार्ड मे अमल किया गया है।

पत्रावली कि बहस व उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी न0 1 के राजस्व रिकार्ड मे अंकित है तथा तहसीलदार उनियारा द्वारा ही दान पत्र रजिस्टर्ड किया गया है। ग्राम पंचायत बिलोता द्वारा नामान्तकरण संख्या 693 स्वीकृत किया गया है। अप्रार्थी द्वारा 42(ख) राज0 काश्तकारी अधिनियम का कोई उल्लघन नही हुआ है। तहसीलदार उनियारा द्वारा ही राजस्व रिकार्ड मे अमल किया गया है। अतः तहसीलदार उनियारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 चलने योग्य नही है। अतः तहसीलदार उनियारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता सक्षम कार्यालय मे आवेदन प्रस्तुत कर रूपान्तरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2017 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाशचन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner